न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री के.आर. चौहान, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 160/2019

वादी :– सुरेश पुत्र श्री लछाराम, जाति जाट, निवासी फरासपुरा, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. कमलादेवी पुत्री श्री लछाराम
2. विमलादेवी पुत्री श्री लछाराम,
   जातियान जाट, निवासीगण फरासपुरा
   तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
3. तहसीलदार मेड़ता।
4. पटवारी हल्का धांधलास उदा।
5. पटवारी हल्का मोरा।

दावा बाबत घोषणा खातेदारी

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955

निर्णय दिनांक :– 29.11.2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी श्री गिरधारी लाल ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी का पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 हिन्दू है सभी एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा की बनारस स्कूल से गवर्न होते है। सभी स्व. लछाराम के वारिसान है। मौजा धोलेराव कलां की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 295 रकबा 2.97 हैक्टेयर तथा मौजा मोरा की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 381 रकबा 2.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 382 रकबा 2.24 हैक्टेयर कुल रकबा 4.57 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा तथा मौजा फरासपुरा की सरहद में स्थित

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

खेत खसरा नम्बर 235 रकबा 2.74 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 2.14 हैक्टेयर कुल रकबा 4.88 हैक्टेयर की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की काश्त व कब्जासुद स्थित है। उक्त सम्पूर्ण आराजी पर वादी का काश्त व कब्जा है। उक्त खसरान की भूमि आगे वाद में मुतनाजा आराजी के नाम संबोधित की गई है। नकल खतौनी साथ में पेश है। वादग्रस्त खसरान की भूमि पूर्व में वादी व प्रतिवादीगण के पिता स्व. लछाराम जी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। लछाराम जी का स्वर्गवास दिनांक 03.08.2017 को हो चुका है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की माता पंचनीदेवी का देहान्त दिनांक 16.05.2018 को हो गया है। लछाराम जी व पंचनीदेवी के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। इस प्रकार वादग्रस्त खसरान की भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है, जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उनके पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। लछाराम जी व पंचनीदेवी के मृत्यु प्रमाण पत्र व उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियां साथ में पेश है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने बंट की एवज में वादी से नगदी व जेवरात प्राप्त कर लिये तथा अपना सम्पूर्ण खातेदारी हक व वादी के पक्ष में जुबानी तर्क कर दिया। जिससे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का वादग्रस्त आराजी में कोई हक, अधिकार, बंट, काश्त व कब्जा नही है। इस प्रकार वादग्रस्त खसरान की सम्पूर्ण भूमि वादी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है। उक्त मुतनाजा आराजी पर काश्त व कब्जा वादी का ही कायम है। मगर मुतनाजा आराजी की खातेदारी अभी तक स्व. लछाराम जी के नाम से ही दर्ज है। इसलिये वादी यह घोषणा का वाद पेश कर इस प्रकार की घोषणा करवाने के अधिकारी है कि मौजा धोलेराव कलां की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 295 रकबा 2.97 हैक्टेयर तथा मौजा मोरा की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 381 रकबा 2.33 हैक्टेयर, खसरा

उपखण्ड अधिकारी
भेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

नम्बर 382 रकबा 2.24 हैक्टेयर कुल रकबा 4.57 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा तथा मौजा फरासपुरा की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 235 रकबा 2.74 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 2.14 हैक्टेयर कुल रकबा 4.88 हैक्टेयर भूमि वादी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है। प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार मेड़ता भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार है। इसलिये इनको पक्षकार बनाया गया है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 9 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा धोलेराव कलां की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2076, खाता संख्या 232, मौजा मोरा की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2076, खाता संख्या 396 एवं मौजा फरासपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2076, खाता संख्या 123, ग्राम पंचायत मोरा द्वारा जारी वारिसनामा दिनांक 07.09.2018, मृत्यु प्रमाण पत्र लछाराम व पंचमीदेवी, ग्राम पंचायत मोरा द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की प्रतियां पेश की।

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री नरेश कुमार राजपुरोहित ने वकालतनामा पेश किया है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा पेश। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के शपथ पत्र पेश किये। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के सम्मन तारीख पेशी दिनांक 25.07.2019 तामीलसुदा संलग्न पत्रावली है, आवाज लगायी गई, अनुपस्थित रहने से दिनांक 19.11.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी है।

4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

–: आदेश :–

6. **(क) वादी सुरेश के बंट में** :– मौजा धोलेराव कलां की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 295 रकबा 2.97 हैक्टेयर तथा मौजा मोररा की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 381 रकबा 2.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 382 रकबा 2.24 हैक्टेयर कुल रकबा 4.57 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा तथा मौजा फरासपुरा की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 235 रकबा 2.74 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 2.14 हैक्टेयर कुल रकबा 4.88 हैक्टेयर की भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

7. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने हक की भूमि का हक तर्क वादी के हक में कर दिया है। जिससे हक तर्क व बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

के.आर. चौहान

उपखण्ड अधिकारी,

उपखण्ड अधिकारी

मेड़ता

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Kashi Ram Chauhan

Date: 2019.12.05 13:00:08 IST

Reason: SelfAttested

Location: